एक राष्ट्र, एक चुनाव

ऋतेश भारद्वाज

19 जून 2019 के केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की वापसी के बाद भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव की बहस छिड़ गई है। वर्ष 2003 में लालकृष्ण आडवाणी ने भी कहा था कि सरकार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराये जाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और उस समय भारत में भाजपा की ही सरकार थी। भारत में यह पहला अवसर नहीं है जब एक राष्ट्रए एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ हुई हो। अतीत में विभिन्न अवसरों, विभिन्न मंचों मे यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। एक राष्ट्रए एक चुनाव के विचार के तहत देश में चुनाव चक्र को किस तरह से संरचित करने का प्रस्ताव हैए जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जा सकें। पिछले 25 वर्षों से चुनाव आयोगए विधि आयोग नीति आयोग और संसदीय समिति के प्रतिवेदनों पर इस विषय पर विचार करने के पश्चात् आज केन्द्र सरकार ने एक नई समिति बनाने का निर्णय लिया है। यदि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हमें अनेक देशों में एक बार चुनाव कराने की परंपरा देखने को मिलती है। स्वीडन में पिछले वर्षए सितंबर में आम चुनावए काउंटी और नगर निगम के चुनाव एक साथ कराए गए थे। इंडोनेशियाए अल्बानियाए पोलैण्ड और बेल्जियम में एक चुनाव कराने की परंपरा है।

आजादी के 73 साल के इतिहास में सही अर्थों में सिर्फ 1957 में ही ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ हो पाये थे क्योंकि सन् 1952 में हुये आम चुनावों के दौरान तो सभी चुनाव; लोकसभा व विधानसभा एक साथ ही होने थे। आज कहा जा रहा है कि व्यापक भौगोलिक क्षेत्र वाले देश में जब दो टाइम जोन बनाने की माँग हो रही है तो फिर एक राष्ट्रए एक चुनाव की इतनी

आवश्यकता क्या है, सर्वप्रथम अतीत मे पूरे देश में एक चुनाव करवाने का क्रम 1968.69 में टूटा क्योंकि कुछ राज्यों की विधानसभायें विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई थी। वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गये थे ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार के चुनाव पहले भी करवाये जा चुके हैं तो अब क्या समस्या है

चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्साव माना जाता है। अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी-न-किसी राज्य मे चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश लगातार चुनावी माहौल से घिरा रहता है, जिससे न केवल प्रशासनिक व नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। 17वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान धन.बल का पूर्व की अपेक्षा में बहुत अधिक प्रयोग किया गया। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म के 15 वर्षों के आँकड़ों के अध्ययन से चुनावों में धन की ताकत का पता चलता है। एडीआर से प्राप्त आँकड़ों का यदि विश्लेषण किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि 17वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और लगभग तीन महीने तक देश चुनावी दौर में रहा।1 यह खर्च अब तक चुनावों में किये गये खर्चों में सबसे अधिक हैए जिसमें स्वयं भाजपा द्वारा इसका 45 प्रतिशत खर्च किया गया है और यह राशि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि से भी अधिक है। आज अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि हम अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। आज अगस्त 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे बैंकिंग विनिर्माण, सेवा उद्योग इत्यादि देखा जा सकता है।

आज निर्वाचन आयोग भी चुनावों पर खर्चा करता हैए खासकर सुरक्षा बलों की तैनाती में। इस वर्ष 17वीं लोकसभा चुनावों में अप्रैल 2019 तक निर्वाचन आयोग 700 करोड़ रुपये की नकदी जब्त कर चुका था और हम यह जानते हैं कि यह बेहद मामूली राशि है क्योंकि समुचित चुनाव मे इस्तेमाल में की जाने वाली धनराशि को जब्त किया जाना संभव नहीं हैए बहरहाल वर्ष 2014 की तुलना मे वर्ष 2019 में जब्त किया गया धन कई अधिक है। हम सभी जानते हैं वैध सीमा से ऊपर चुनावों में खर्च किया जाने वाला धन अवैध होता है और यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के खिलाफ है। चुनाव आयोग द्वारा धन खर्च को लेकर कुछेक नियम बनाये गये हैंए जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ सलाह मशवरा करके चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार की खर्च सीमा 70 लाख रुपये तक तय की गई है इसके बावजूद इससे कहीं अधिक धन चुनावों मे खर्च हो रहा है।

निश्चित ही ऐसी परिस्थितियों में ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् का विचार सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो अच्छा प्रतीत होता है परन्तु यह व्यवहारिक है या नहीं इस पर विशेषज्ञों की राय अलग.अलग हो सकती है। बेशक बार.बार होने वाले चुनावों की बजाये एक बार चुनाव ;लोकसभा व विधानसभाद्ध कराया जाना अधिक सहज व प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके लिये सबसे जरूरी है कि सभी राजनैतिक दलों के मध्य आम सहमति का होना जोकि एक मुश्किल कार्य है क्योंकि राजनैतिक सर्वसहमति के अभाव मे संविधान में आवश्यक संशोधन करना संभव नहीं होगा।

वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभाओं और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था।2 चुनाव सुधार पर विधि आयोग की इस 170वीं रिपोर्ट देश की राजनैतिक प्रणाली के कामकाज पर अब तक के सबसे व्यापक दस्तावेजों में से एक कहा जाता है। इस रिपोर्ट का एक पूरा अध्याय इसी मुद्दे पर केन्द्रित है। राजनैतिक व चुनावी सुधारों से संबंधित इस रिपोर्ट मे दलीय सुधारों की भी बात कही गई है। राजनीतिक दलों के कोषए चंदा एकत्रित करने के तरीके और उसमें अनियमिततायें तथा

इन सबका राजनैतिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव आदि का भी इस रिपोर्ट में बेहतर विश्लेषण किया गया है। आज म्टड में नोटा यछव्ज्।द्ध का जो विकल्प है उसकी सिफारिश भी विधि आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में नकारात्मक मतदान की व्यवस्था लागू करने की बात कहकर की थी। इसके पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह विकल्प मतदाताओं को दिया गया। पिछले वर्ष अगस्तए 2018 में विधि आयोग द्वारा सरकार को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया और इसके क्रियान्वयन हेतु चुनावी नियमों में बदलाव की बात कही गई।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ

आज एक राष्ट्र, एक चुनाव की बहस दिलचस्प मुकाम पर पहुँच गई है। भाजपा की ओर से कुछ वर्ष पूर्व यह संकेत मिले थे कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ 11 राज्यों के चुनाव भी कराये जा सकते हैं। राजनैतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई थीए इस पूरी बहस के दौरान संवैधानिकए राजनैतिक और कानूनी पहलुओं के साथ यह आयाम भी विचार में आया कि आखिर चुनाव आयोग इतने सारे राज्यों के चुनाव, लोकसभा के साथ कैसे करवा सकता है चुनाव आयोग का कहना था कि इतने सारे राज्यों के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं हैए जब तक कि इसके लिये संवैधानिक और कानूनी प्रावधान नहीं किये जाते। नीति आयोग की राय है कि 11 राज्यों के चुनावए लोकसभा के साथ कराने के लिये संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। वैसे भी यह कहना बहुत आसान हैए परन्तु करना मुश्किल। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 83-2 के तहत लोकसभा का और 172-1 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिये होता है और आपातकाल को छोड़कर यह कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। परन्तु लोकसभा या विधानसभा को भंग कर इसका कार्यकाल कम जरूर किया जा सकता है। जन-प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव आयोग को लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 महीने के भीतर चुनाव की घोषणा करनी होती है।

एक साथ चुनाव कराने के पीछे यह दलील दी जा रही है कि इससे सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगाए विकास कार्य नहीं रुकेंगे और नीतिगत फैसलों में निरंतरता बनी रहेगी। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग को इसे लेकर पत्र में कहा था कि महाराष्ट्र में वर्ष 2016.17 में साल के 365 में से 307 दिनों तक आदर्श आचार.संहिता लगी रही थी। इस तरह नीति आयोग के मुताबिक यदि 2020 का वर्ष छोड़ दें तो वर्ष 2021 तक हर 6 महीनों में से 2 से 5 विधानसभा चुनाव होंगे।3 पिछले 30 वर्षों में ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ हो। नीति आयोग का मानना था कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का पहला मौका वर्ष 2019 हो सकता है। जब तक कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा कर और कुछ का घटा कर 14 राज्यों के चुनावए लोकसभा के साथ ही कराये जा सकते हैं लेकिन ऐसा तभी मुमकिन होगा जब संविधान में संशोधन कर कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाये और कुछ का घटाया जाये। यदि ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् के लाभों पर गौर किया जाये तो हमें इसके निम्नलिखित लाभ दिखाई देते हैं .

1 आर्थिक बचत- एक राष्ट्र एक चुनाव मे सार्वजनिक धन की बजत होगी, प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर भार कम होगाए सरकार की नीतियों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहने के बजाय विकासात्मक गतिविधियों में लगी रहे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 1100 करोड़ और 2014 के लोकसभा चुनावों में 4000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यदि उम्मीदवारों के खर्च की बात की जाये तो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 हजार करोड़ खर्च हुआ था जो 2019 में बढ़कर 60 हजार करोड़ हो गया।4 जब वर्ष 1951-52 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था तो 53 दलों ने चुनावों मे भागीदारी की थीए 1874 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुये थे और चुनाव खर्च 11 करोड़ रुपये आया था और हाल ही में सम्पन्न 17वीं लोकसभा के चुनाव में 610 राजनैतिक दल थे और लगभग 9000 उम्मीदवार थे और इस पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुये।5 यह चुनाव 7 चरणों और 75 दिनों

में सम्पन्न हुये और इस आम चुनाव को अब तक का सबसे खर्चीला चुनाव कहा जा सकता है।

2 काले धन पर रोक - लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव इनमें काले धन का प्रयोग बड़ी मात्रा में हो रहा है और यदि देश में इन दोनों के चुनाव एक साथ करा दिये जायें तो निश्चित रूप से काले धन पर अंकुश लगेगा। आज ज्यादातर उम्मीदवार अपनी तय सीमा से काफी ज्यादा धनराशि चुनावों में खर्च करते हैंए हालांकि रिकार्ड नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाती है। एसोशिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने अपने आँकड़ों में यह बताया है कि वर्ष 2014 में किसी उम्मीदवार द्वारा घोषित संपत्ति 3ण्16 करोड़ थी लेकिन निर्वाचित सांसदों की घोषित औसत परिसंपत्ति 14 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।6 इसलिये जिनके पास ज्यादा धन होता है उनकी चुनाव में जीतने की संभावना बढ़ जाती है ;कुछेक अपवाद छोड़करद्ध। इस वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 542 में से 475 सांसद करोड़पति हैंए दूसरे शब्दों में 88 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैंए जिसमें भाजपा के 265ए कांग्रेस के 43ए डीएमके के 2ए तृणमूल के 20ए वाईआरएससी यल्त्ैब्द्ध से 19 सांसदए शिवसेना के 18 और जेडीयू के 15 सांसद करोड़पति हैं। यदि अपराधिक मामलों की बात की जाये तो 542 में से 233 सांसदों पर अपराधिक मुकदमे हैं अर्थात् 43 प्रतिशत सांसदों पर अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।7 इस प्रकार भारतीय राजनीति में बढ़ता धन.बल और अपराधीकरण दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के लिये खतरा है।

3 सीमित आचार संहिता- एक राष्ट्र, एक चुनाव से तीसरा बड़ा फायदा यह होगा कि राज्यों को बार.बार आचार संहिता का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकारी कामकाज में भी रुकावट नहीं आयेगी क्योंकि जिस वक्त राज्यों में या किसी राज्य विशेष में आचार.संहिता लगाई जाती है तो इस दौरान कोई नई सरकारी घोषणा अथवा योजना लागू नहीं की जा सकती। ऐसी योजनाओं और घोषणाओं को आचार संहिता के दौरान लाना मतदाताओं को किसी दल विशेष के समर्थन में किया गया नकारात्मक प्रयास माना जाता है

और इसे निर्वाचन आयोग में चुनौती दी जा सकती है। इसके साथ ही बार.बार चुनाव कराने से शिक्षा क्षेत्र का कामकाज भी प्रभावित होता है क्योंकि चुनावों के दौरान भारी संख्या में शिक्षकों को चुनावों में नियुक्त कर दिया जाता है जिससे स्कूली शिक्षा में व्यवधान आते हैं।

4 एक राष्ट्र एक चुनाव नया प्रयास नहीं है - इसके समर्थन मे कुछ लोगों का मानना है कि 1951-52 में देश में पहली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराये जा चुके हैं। लेकिन वास्तविक समस्या तब सामने आयी जब कुछ विधानसभायें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग होने लगी और इन विधानसभाओं का भंग होना संविधान अनुसार था और संवैधानिक नियमों के तहत 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता थी और यह नियम आज भी है। अभी हाल ही में ;वर्ष 2019द्ध इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक साथ कराये गये थे और इसके लिये 17 हजार द्वीपों पर 8 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाये गये थे।8

5 सामाजिक सौहार्द व सुविधाजनक सामाजिक सौहार्द में वृद्धि - आमतौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में धर्म और जाति जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाये जाते हैं और इस तरह के मुद्दों से होने वाला संकुचित ध्रुवीकरण लोगों के बीच दूरियाँ बढ़ाता है और यदि चुनाव बार.बार नहीं होंगे तो राजनीतिज्ञों को इस तरह के जातीय व धार्मिक समीकरण को बार.बार उठाने का मौका नहीं मिलेगा और इसके साथ ही बार.बार चुनाव होने से चुनाव रैलियाँए शोर.शराबाए आम सभायें और विशिष्ट राजनीतिज्ञों के आवागमन से आम आदमी को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है और ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् के क्रियान्वयन के बाद चूंकि एक ही बार वोट डालना होगा इसलिये मतदान के दौरान बाहर रहने वाले लोग भी मतदान के लिये अपने मूल स्थानों पर आ सकेंगे।

6 जन-संवाद प्रतिवेदन - वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी समूह ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर एक

राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गयाए जिसकी अध्यक्षता भाजपा उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे ने की थी। इसमें 16 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 29 शैक्षिक सदस्यों ने अपने शोध प्रस्तुत कियेए जिसमें विशेषज्ञों द्वारा पाँच मुख्य परिवर्तनों पर जोर देते हुये कहा गया कि. प्रधानमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में मध्यावधि और उपचुनाव की प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश में एक साथ चुनाव कराने से अविश्वास प्रस्ताव और सदन भंग करने जैसे मामलों में मदद मिलेगी।

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' व्यवस्था के तहत सदन में अवश्विास प्रस्ताव लाने वाली विपक्षी पार्टियों को अगली सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव भी लाना जरूरी होगा। ऐसे में सदन भंग होने की स्थिति को टाला भी जा सकता है।

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उपचुनाव की स्थिति में दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जा सकता हैए यदि किसी कारणवश प्रथम स्थान वाली सीट खाली होती है।

इस रिपोर्ट में जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों; बार-बार चुनाव होने सेद्ध कड़ी आलोचना की गई है और इसके साथ ही पहले चरण में लोकसभा और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ वर्ष 2019 में और दूसरे चरण में वर्ष 2021 में बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई थी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के दोष

यह सही है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी राजस्व और समय की बचत होगी तथा नीतिगत.निर्णय की प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होगी। प्रायः यह देखा जाता है कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो मंत्रियों सहित पूरा सरकारी अमला बेहद व्यस्त हो जाता हैए

इसके साथ ही चुनाव आचार.संहिता लागू होने से विकास कार्य भी ठप पड़ जाते हैं लेकिन इसमें कोई दो.राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा नजर आता है। इन सब तथ्यों के बावजूद एक राष्ट्र, एक चुनाव में निहित और संभावित समस्याओं पर गौर करते हुये उनका निराकरण भी किया जाना बहुत आवश्यक है। यदि ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् की खामियों अथवा दोषों पर गौर किया जाये तो इसमें क्षेत्रीय दलों पर अस्तित्व के संकट के साथ.साथ इनके क्षेत्रीय मुद्दों पर भी राष्ट्रीय मुद्दे सवार हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ चुनाव आयोजित करने से चुनाव परिणामों में देरी और सुरक्षा व्यवस्था का बन्दोबस्त भी एक विकट समस्या हो सकती हैए जिससे प्रतिपूर्ति यस्वहपेजपबद्ध संबंधी चुनौतियाँ भी सामने खड़ी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनाव के खिलाफं राष्ट्रपति प्रणाली का एजेंडा लगाने का भी आरोप भी लगाया जा रहा है। यदि एक राष्ट्रए एक चुनाव की खामियों पर गौर किया जाये तो हमें निम्न संभावित चुनौतियाँ अथवा दोष दिखाई देते हैं जो निम्नलिखित हैं .

1 व्यापक संविधान संशोधन - एक राष्ट्र, एक चुनाव के संबंध में पूर्व निर्वाचन आयुक्त टीआरएस कृष्णमूर्ति का मानना है कि यह विचार आकर्षक है लेकिन विधायिकाओं यस्महपेसंजनतमेद्ध का कार्यकाल निर्धारित करने के लिये संविधान में संशोधन किये बगैर इसे अमल में नहीं लाया जा सकता और जब तक सदन के लिये निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं करेंगेए यह संभव नहीं है। विधि आयोग ने इस बारे में अप्रैल 2018 में एक जन-सूचना यच्नइसपब छवजपबमद्ध जारी की थी जिसमें ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् के लिये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ संविधान में अनेक बदलाव करने की बात कही थी। इसके लिये संविधान के अनुच्छेद-83ए 85ए 172ए 174 और 356 में बदलाव किया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 368-2 के तहत किसी खास तरह के संशोधनों के लिये आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन जरूरी होता है क्योंकि ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रभावित होंगेए

इसलिये विशेष बहुमत से इसे पारित करवाना आवश्यक होगा और यदि इस पचड़ों से बचने के लिये आधार की तर्ज पर ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् को भी यदि धन विधेयक यडवदमल इपससद्ध के तौर पर लाने की कोशिश की गई तो यह संविधान के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी होगी।9

संविधान के अनुच्छेद 83; यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन करता हैद्धए अनुच्छेद 85; राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भांग करने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 172; संसद के कार्यकाल का वर्ण और अनुच्छेद 174; राज्य विधानसभाओं के भंग करने की प्रक्रिया का वर्णनद्ध में भी सुधार करना होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 356; राष्ट्रपति शासनद्ध में भी बदलाव करना आवश्यक होगा। इन संविधानिक संशोधनों के पश्चात् चुनाव आयोग को भी तैयार करना होगा। सरकार गिरने पर असेंबली डिजोल्व न हो इसके लिये अलग से प्रावधान की जरूरत होगी और जनता को भी चुनावी शिक्षा अभियान से जोड़ना होगा।

2 संघात्मक व्यवस्था पर चोट - भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाते हुये अनेकता में एकता को दर्शाते हुये बहुपक्षीय संघात्मक संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित किया गया है। अनुशासन के लिहाज से ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् निश्चित तौर पर लाभदायक और स्वस्थ व्यवस्था है परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि राज्यों के स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैंए जहाँ जनता दलों और उनके नेताओ को राज्य में किये गये कार्य के आधार पर उन्हें वोट देती है और यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ सम्पन्न कराये जाते हैं तो जनता के बीच राष्ट्रीय मुद्देए स्थानीय मुद्दों को ढक लेंगे। दूसरे शब्दों में ए राष्ट्रीय मुद्दों के समक्ष स्थानीय मुद्दों का महत्त्व कम हो जायेगा और यह संघीय ढाँचे के अनुरूप नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवनन्द भारती विवाद में आधारभूत ढाँचे के सिद्धान्त को स्थापित किया और भारतीय संघीय व्यवस्था की गणना आधारभूत ढाँचे के लक्षण के रूप में की। आजकल व्हाट्सऐप चुटकुलों के अनुसार सांसदों

द्वारा प्रधानमंत्री का चयन होता है लेकिन इस बार; वर्ष 2019 प्रधानमंत्री ने सांसदों को बनाया है। इन परिस्थितियों में ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् से अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति प्रणाली की शुरुआत हो सकती है जिसकी वजह से अनेक दल इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। आजादी के बाद जवहर लाल नेहरुए इंदिरा गाँधी और राजीव गाँधी ने राजनीति में नायक तत्त्व अथवा व्यक्तित्व पूजा के चलन को बढ़ाया जिसे डा बाबासाहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अंतिम संबोधन में आगामी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती के रूप में देखा था। आज देश की जनता ने नायकत्व को अंगीकार कर ही लिया है तो फिर राष्ट्रपति प्रणाली पर ही बहस क्यों न होण्ण्घ् जिसके नाम पर वोट पड़ेए उसे ही अधिकारों के साथ जवाबदेही मिले।

3 पहले व्यापक चुनाव सुधारों पर बहस हो - आज प्रसांगिक हो चुकी चुनाव आचार संहिता के दौर में चुनाव आयोग अभी लाचार या लकीर का फकीर बना हुआ दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में विफल चुनावी व्यवस्था की वजह से इवेंट मैनेजमेंट बने चुनावों में जनादेश से ज्यादा संसाधनों पर फोकस है। वर्ष 2014 के आम चुनावों में सरकारी तौर पर 3870 करोड़ खर्च हुए लेकिन पार्टियों और नेताओं ने 50000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् से इस खर्च पर कैसे लगाम लगेगी।

देश में छोटे अपराधों पर गरीब को उम्र कैद तक हो जाती है जिन्हें जेल में वोट डालने का हक नहीं है दूसरी ओर अनेक खूंखार अपराधी नियमों को ठेंगा दिखाकर संसद के माननीय सदस्य बन जाते हैं। ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् का विचार बहुत अच्छा है परंतु इस यथार्थ में लोकतंत्र के गतिशीलता हेतु लागू करने से पहले कुछ अन्य आवश्यक कदमों पर भी ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है जैसे देश में राजनीतिक अपराधीकरण के मामलों का बढ़ता जाना। यदि अपराधिक मामलों की बात की जाए तो कोई 542 में से 233 सांसदों पर अपराधिक मुकदमे हैं। 48 प्रतिशत सांसदों पर अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जबकि 2014 में 34ः सांसदों पर अपराधिक मुकदमे थे और इनमें से 29 फीसदी पर गंभीर आरोप हैए 11

फीसदी पर हत्या का मामला दर्ज है जिन सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें से 116 बीजेपी के, 29 कांग्रेस के, डीएमके 10, वाईएसआरसी के, 9 सांसद तृणमूल के हैं। भारतीय राजनीति में बढ़ता धनबल और अपराधीकरण दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है। एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवस्था संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों ही स्तर पर मुश्किल है और यदि इसे लाना आवश्यक भी हो तो उससे पहले आंतरिक चुनाव व्यवस्था या चुनाव सुधार किए जाने अति आवश्यक है।

4 मौसमी बेरोजगारी - एक राष्ट्र, एक चुनाव के संदर्भ में यह भी शंका जाहिर की जाती है कि इससे चुनावी मौसम के दौरान एक मौसमी बेरोजगारी विकसित होगी। मसलन चुनाव ही वह राजनीतिक पर्व है जिस दौरान धार्मिक तीज.त्योहारों की तरह मौसमी रोजगार पैदा होता है। खरबों रुपए के बैनर पोस्टर छापने वाले उद्योग धंधेए इन्हें लगाने और टांगने वाले लाखों मजदूरए किराए पर वाहन देने वालों के धंधेए रैली में भीड़ जमा करने वालों का रोजगारए इत्यादि चुनाव के दौरान ही धंधा पाते हैं। इधर बकायदा हमें चुनाव प्रबंधन कंपनियां भी दिखाई देती है जिसें पेशेवर लोग हर साल बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर रहे हैं। सुनने.पढ़ने में यह बात अनैतिक से लग सकती है लेकिन जहां तक हानिकारक उत्पादों और सेवाओं का विरोध सिर्फ इस कारण से ना किया जा पाता हो कि उसे बंद करने से बेरोजगारी बढ़ेगीए तो चुनावों में राजनीतिज्ञों की किफायत के लिए बेरोजगारी बनाने की बात क्यों नहीं की जा सकतीघ्

अन्य आवश्यक कदम

1 मान लिया जाएए कि यदि एक साथ पूरे देश में चुनाव शुरू करवा दिया जाए जोकि चार चुनावों में पहले भी हो चुका है लेकिन क्षेत्रीय दलों के दौर में यह विचार थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। यदि एक साथ चुनाव करवाए जाने के बाद भी कुछ राज्यों में किसी दल को बहुमत मिलने की स्थिति नहीं बनती और वहां सरकार समय से पहले गिर जाती है तो ऐसी

स्थिति में क्या होगाघ् क्या वहां शेष समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या फिर अल्पमत सरकारों को ही शासन चलाने दिया जाएगाघ् और ऐसा किए जाने से पहले इस तरह के सवालों का स्पष्ट लोकतांत्रिक हल भी ढूंढना होगा।

2 जहां तक चुनावों में पैसे की बर्बादी का तर्क है बेशक सरकार का कुछ खर्च बचेगा लेकिन सरकार जितना खर्च करती है उससे कई गुना तो राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, समर्थक, व्यापारियो, उद्योगपतियों और ठेकेदारों का पैसा चुनाव में खर्च होता है। यह बात लिखित में भले ही ना होए लेकिन इसे लेकर किसी बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि चुनाव ही एक अकेला ऐसा मौका होता है जब राजनीतिज्ञों की जेब से पैसा निकलता है। वैसे अभी जो चर्चा है उसमें चुनाव के कालेधन के इस्तेमाल की बातें सार्वजनिक रूप से हो रही है। यह कथित काला धन कम खर्च होगा तो क्या यह बचा हुआ पैसा जनकल्याण के कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगाघ।

3 बार-बार होने वाले चुनाव सरकार के लिए एक नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कायम रखने में मदद करते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधियों के मन में यह भय हमेशा बना रहता है कि अगर किसी राज्य में काम ना करने की सजाए पार्टी को दूसरे राज्य में मिल सकती है। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर एक दल पूरी सजगता के साथ काम.काज करेगा। दूसराए अगर किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो क्या उस राज्य को अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। अगर नहींए तो लोकसभा में किन्हीं कारणों से सरकार गिर जाती है तो क्या बाकी राज्यों को अपनी निर्वाचित सरकारों को निरस्त कर दुबारा से चुनाव कराने पड़ेंगेघ् इन सभी प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर मिलने बाकी हैं।

अवलोकन

अभी हाल ही में देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को कराए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी हालांकि इस बैठक में कांग्रेसए तृणमूल कांग्रेसए बहुजन समाजवादी पार्टीए समाजवादी पार्टी व अन्य कई दल अनुपस्थित रहे। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया थाए कि एक राष्ट्रए एक चुनाव के मुद्दे पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री एक समिति गठित करेंगेए जो निश्चित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर ज्यादातर दलों ने अपना समर्थन दिया है हालांकि इस मुद्दे पर अभी भी कुछ वैचारिक मतभेद मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि हमने देश भर के 40 पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था जिसमें से 21 पार्टियों के प्रमुख ने अपनी सहभागिता दी है और तीन लोगों ने पत्र लिखकर उन्हें सूचित किया है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई थी जिसमें इस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। टीआरएस अध्यक्ष, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक राष्ट्र, एक चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए परंतु उन्होंने अपने बेटे टी रामा राव को तेलंगाना राष्ट्र समिति का प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव को एक फैंसी विचार के रूप में देखती है क्योंकि इसका मानना है कि यह ना तो संभव है और ना ही इसकी आवश्यकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव एसण् सुधाकर रेड्डी ने सवाल करते हुए कहा कि अगर कोई राज्य सरकार किसी वजह से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती तो इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक हैघ् बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् के फार्मूले को गरीबी और अन्य समस्याओं से ध्यान हटाने वाला प्रयास करार दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत से दलों ने इस विचार का समर्थन किया तो वहीं कुछ दलों ने इस विचार का विरोध किया।

एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा सन 1993 में भी उठा था। यह विचार 1999 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक सुझाव के रूप में भी दिया था। जिस तरह पहले एक साथ चुनाव होते थेए हमें उस स्थिति में वापस आना चाहिए। इसके उपरांतए दिसंबर 2015 में नीति आयोग ने एक चुनाव की व्यवहारिकता रिपोर्ट पर स्टैंडिंग कमेटी का कहना था कि एक साथ चुनाव के लिए कोई व्यावहारिक तरीका सोचना होगा। इसके बाद यह भी सुझाव सुनाई दिया गया कि 2024 में एक साथ चुनाव के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। आज यदि ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् की बात को सफल तरीके से आगे बढ़ाना हैए तो संभवत यही एक तरीका हो सकता है कि सभी राजनीतिक दलों के बीच बहस शुरू हो और साथ ही जनता के बीच बहस का माहौल बने। फैसला होने के पहले बहस का मुद्दा यही होगा कि एक साथ चुनाव से क्या फायदे होंगेघ् किसे फायदा होगा और यह फायदा किसकी कीमत पर होगाघ् इन सभी प्रश्नों का एक बेहतरी हल निकाला जाना आवश्यक है ताकि सभी दलों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ा जा सके।

राजनैतिक गलियारों मेंए विपक्षी दलों का मानना है कि ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् से भाजपा को राजनैतिक लाभ मिलेगा क्योंकि भाजपाए सिर्फ नरेन्द्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और वे ही इसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी हैं। वो भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतनी बड़ी तादाद में चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में जितनी रैलियाँ मोदी ने की हैंए कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की हैं। भाजपा एक साथ चुनाव कराकर मोदी की स्टार छवि को भुनाना चाहती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चुनाव रैलियों में प्रधानमंत्री का बहुत वक्त लगता है और जो शेष समय उनके पास बचता है उसमें वह विदेशी दौरों पर रहते हैं। ऐसे में चुनावी सक्रियताओं की वजह से वे अन्य कई आवश्यक कार्यों को समय नहीं दे पाते हैं। एक साथ चुनाव होने से प्रधानमंत्री का काफी समय बचेगा।

इस विचार पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करना भारतीय जनता की समझ पर प्रश्नचिह्न उठाना

है। भाजपा का कहना है कि जनता बहुत समझदार है वह जानती है कि किसे वोट करना है। ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जहाँ एक साथ चुनाव हुए और जनता ने केन्द्र में किसी और को चुना और राज्य में किसी और को चुना। उदाहरण के तौर पर राजीव गाँधी ने अन्तिम चुनाव 1991 में लड़ा था और उसी वर्ष उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा के साथ हुआ था। अमेठी में राजीव गाँधी जीते थे लेकिन यहाँ की पाँचों सीटों पर कांग्रेस हार गई थी।

इसके साथ ही भाजपा ने ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् को एक सैद्धान्तिक पहल कहा है। समय≤ पर चुनावी सुधार की प्रक्रिया होती रहनी चाहिये। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब बहुत सी ऐसी बातें भी थीं जो संविधान निर्माताओं ने नहीं सोची थीं। संविधान में गतिशीलता बनी रहनी चाहिये। समयए स्थान और परिस्थितियों के संदर्भ में सशक्त लोकतंत्र के लिये इसमें परिवर्तन किए जाने चाहिये। जिस प्रकार स्थानीय स्वशासन हेतु सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआए दल.बदल कानून लागू हुआए जन सूचना का अधिकार लागू हुआए 72 वर्षों से धारा 370 के तहत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी परिवर्तन आया है और ष्एक राष्ट्रए एक संविधान व एक ध्वजष् के साथ इसे भारत का केन्द्रशासित प्रदेश बना लिया गया है और असम्भव को सम्भव होते पूरे राष्ट्र ने देखा है। ठीक इसी प्रकार ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् भी सुधार ही साबित होगा।

उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र, एक चुनावष, के हित में व्यापक चुनाव सुधारों में पहल करना अति आवश्यक होगा ताकि जनता का विश्वासए निष्पक्ष व सशक्त लोकतंत्र में बाढ़ सकें। देश को चुनावों के चक्र से निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अधिनियम लाने की आवश्यकता है। इसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून में सुधारए काले धन पर रोकए राजनीति में अपराधीकरण पर रोकए लोगों में राजनैतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति को पैदा करना आवश्यक होगा। लंबी कोशिशों के बाद दो वर्ष पहले देश में वस्तु एवं माल कर लागू हुआ था और कमोबेश वह ठीक.ठाक काम भी कर रहा है। ष्एक राष्ट्रए एक चुनावष् के समर्थक तर्क देते हैंए कि जब देश में एक कर

प्रणाली को लागू किया जा सकता हैए तो एक राष्ट्र में एक चुनावी व्यवस्था के विचार को भी आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन इसके लिए आम सहमति को बनाना बहुत आवश्यक है।